



मंत्रिमण्डल

मंत्रिमंडल ने आईएलए को अपना दर्जा गैर-सरकारी संगठन से बदलकर अन्तः सरकारी संगठन किए जाने को मंजूरी दी

Posted On: 11 OCT 2017 8:35PM by PIB Delhi

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एंड्स टू नेवीगेशन एण्ड लाइट हाउस अथॉरिटीज (आईएलए) को अपना दर्जा गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) से बदलकर अन्तः सरकारी संगठन (आईजीओ) किए जाने को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।

इस प्रस्ताव से 'पोतों के सुरक्षित, मितव्ययी और दक्षतापूर्ण आवागमन' की सुविधा होगी। इससे आईएलए अन्तर्राष्ट्रीय मेरीटाईम संगठन (आईएमओ) व इन्टरनेशनल हाइड्रोग्राफिक आर्गनाइजेशन (आईएचओ) के समकक्ष हो जाएगा।

पृष्ठभूमि:

आईएलए का मुख्यालय फ्रांस कानून के अन्तर्गत सेंट जर्ममेन लाए (फ्रांस) में 1957 में स्थापित किया गया था। यह 83 राष्ट्रीय सदस्यों वाली एक आम सभा द्वारा प्रशासित है, और अधिशासी तंत्र के रूप में एक परिषद कार्यरत है। आईएलए परिषद में 24 राष्ट्रीय सदस्य हैं और भारत इसकी परिषद का एक सदस्य है जिसका प्रतिनिधित्व महानिदेशक - लाइट हाउस एवं लाइटशिप्स (डीजीएलएल) नौवहन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। लाइटहाउस अधिनियम 1927 के अनुसार डी जी एल एल अण्डमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूहों सहित भारत के तटों पर सामान्य स्थितियों में नौचालन की गतिविधियों का अनुरक्षण में मदद प्रदान करता है।

मई 2014 में ला कोरुना में आयोजित अपने ग्यारहवें सत्र ने इन्टरनेशनल एसोसिएशन आफ मरीन एंड्स टू नेवीगेशन एण्ड लाइटहाउस अथॉरिटीज (आईएलए) की आम सभा ने एक संकल्प को अंगीकार किया था, जिसमें उसने अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया था कि आईएलए का दर्जा एनजीओ से बदलकर आई एलए किए जाने से 21वीं शताब्दी के लक्ष्यों की प्राप्ति में काफी मदद होगी।

अतुल तिवारी /हिमांशु सिंह/बालमीकि महतो/सुरेन्द्र शर्मा/हेमा

(Release ID: 1505733) Visitor Counter : 23

